[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2023- सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 146/94- सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) में, मद XXIII. इक्वेस्ट्रेन में, उप-मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(7) वार्म ब्लड घोड़ा";

(ii) सारणी के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित पैरा के अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।"।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 146/94-सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 09/2022 सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 83(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।